

प्रारूप

मोटर वाहन अधिनियम - 1988 के प्राविधानों का उल्लंघन करने पर व्यक्तिगत बन्ध-पत्र

बुक क्रमांक 172 रसीद क्रमांक 8572

उ0प्र0 पुलिस/यातायात पुलिस
वाहन स्वामी/स्वामिनी का नाम सुकुल चौधरी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री श्री विजेन्द्र सिंह
निवासी/निवासिनी गाम - बगनोली थाना - 8145 - गाम - बगनोली - 8145 जिला सी-37 चौबहा
थाना क्षेत्र सी-39 दिनांक 14/06/19 समय 19:45 वाहन संख्या HR55AE1062
वाहन की किस्म कार परमिट संख्या X परमिट की वैधता X
ड्राइविंग लाईसेंस सं0 X लाईसेंस का प्रकार X वैधता 7

अभियोग चलाने अथवा साक्ष्य देने का बन्ध पत्र

मैं श्री/श्रीमती सुकुल चौधरी पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री श्री विजेन्द्र सिंह
निवास स्थान गाम - बगनोली थाना - 8145 जिला सी-37 चौबहा का निवासी/निवासिनी हूँ
इस लेख द्वारा वचन देता/देती हूँ कि आगामी दिनांक 14/07/19 समय 10 बजे प्रातः को 10:55 AM के
न्यायालय में उपस्थित होकर वहां अपने ऊपर लगाये गये मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन अभियोग के सम्बन्ध में उत्तर देने
के लिये उपस्थित रहूँगा/रहूँगी और उपस्थित न होने पर मैं अपने को इस बात का बाध्य करता/करती हूँ कि न्यायालय द्वारा निर्धारित
दण्ड/जुर्माना के लिए उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

वाहन चालक द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 में वर्णित प्राविधानों/धाराओं का उल्लंघन किये जाने का विवरण निम्नवत् है -

क्रमांक	अपराध का विवरण	धारा
1-	बिना ड्राइवर कागजात वाहन चलाना	190(2)
2-	गाम के लोड बन्ध कागजात नहीं है।	207
3-		

9717621408

उक्त बन्ध-पत्र के साथ चालानकर्ता अधिकारी
द्वारा प्राप्त किये गये कागजात का विवरण

.....
.....

उक्त बन्ध-पत्र/विवरण की एक प्रति प्राप्त की
हस्ताक्षर मालिक/चालक

चालानकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम व पद नाम

थाना (नियुक्ति स्थान)

जनपद - गौतमबुद्धनगर

दिनांक 14/06/19